वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
स्थापना वर्ष 1988
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 12 फरवरी–मार्च 2015

इस अंक के भीतर

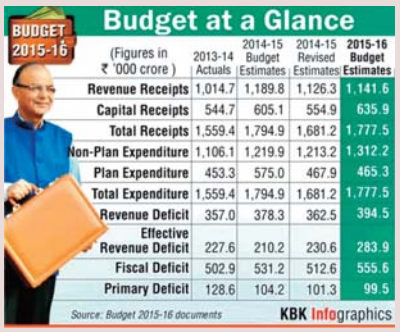

पृष्ठ 03

बजट 2015: संतुलित या पक्षपातपूर्ण

पृष्ठ 11

नेता के विचार: पी.वी. राजगोपाल

पृष्ठ 13

संगठन का परिचय:
दिशा सोशल आर्गेनाइजेशन

संपादकीय

खतरों के बीच जीते हुए : भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र

प्रिय सदस्यो, एसोसिएट सदस्यो और वाणी के मित्रो,

लगभग एक दशक से भारत के स्वैच्छिक संगठन दैनिक आधार पर तलवार की धार पर जी रहे हैं। उन्होंने उप–ठेकेदार होने के लांछन को झेला है या उन पर हमेशा ही ब्लैकलिस्टिड किये जाने का खतरा मंडराता रहा है। दुर्भाग्य से यह स्थिति संचार माध्यमों को कई तथाकथित लीकों की वजह से जिनकी कभी भी पुष्टि नहीं की जा सकती – और भी जटिल हो जाती है। जब भी मीडिया द्वारा ऐसा कोई लीक उजागर हो जाती है, कानून का पालन करने वाली हर स्वैच्छिक संस्था यह देखने के लिए दौड़ पड़ती है कि कहीं सूची में उसका नाम तो नहीं है स्थिति यह है कि गैर–सरकारी ढांचे के माध्यम से देश के विकास और संवृद्धि के लिए काम करने वाले लोग कभी–कभी आज के बाजार प्रभुत्व वाले संवाद में अपनी प्रासंगिकता पर सवाल उठाने लगते हैं। कई बार हम ऐसे लेख पढ़ते हैं जो क्षेत्र से संबंधित कानूनों या क्षेत्र की प्रकृति के बुनियादी ज्ञान बिना स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि को मलिन करने के लिए लिखे जाते हैं। मैं तो कभी–कभी यह मानने लगता हूं कि किसी भी अखबार में अपना लेख या खबर प्रकाशित कराने का सबसे अच्छा तरीका यह है गृह मंत्रालय में किसी अप्रकट स्रोत का हवाला देकर "एनजीओज" पर आरोप लगाते हुए लेख लिखा जाये।

भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र की नियमनकारी व्यवस्था की गंभीर समीक्षा करने और उसमें सुधार करने की जरूरत है। पुराने और अप्रासंगिक नियम इस क्षेत्र को न केवल असुरक्षित बना देते हैं, बल्कि उसे भ्रष्ट तौर–तरीकों के संपर्क में भी ले आते हैं। भारतीय गैर–सरकारी संगठनों पर लागू होने वाले अधिकतर कानून जो पेशेवर ढंग से क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कमजोर हैं या वे केवल नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

लगभग दो दशक पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू हुआ था जिसके अंतर्गत निगमित क्षेत्र के पंजीकरण संबंधी कानूनों को न केवल दुरुस्त बनाया गया और पेशेवर रूप दिया गया, बल्कि नियंत्रणकारी नियमों को पारदर्शी भी बनाया गया। किसी प्रकार से यह मान लिया गया कि केवल निजी क्षेत्र ही विकास ला सकता है और जो लोग इसे लेकर प्रश्न उठाते हैं उन्हें अप्रासंगिक बना देना चाहिए। आइए भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के पंजीकरण की व्यवस्था का विश्लेषण करें। निगमित संस्थाओं के लिए तो इंस्पेक्टर राज में कमी लाई गई, पर इसे गैर–सरकारी संस्थाओं पर थोप दिया गया। सर्वाधिक सामान्य रूप से सोसाइटीज पंजीकरण कानून, 1860 का उपयोग किया जाता। यह लगभग दो शताब्दी पुराना कानून है और इस समय राज्यों की विषय सूची में है। हर राज्य सरकार संस्थाओं के पंजीकरण को अपने–अपने अलग तरीकों से लेती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हर पांच साल के बाद पंजीकरण का नवीकरण करना होता है, जबकि दिल्ली में कोई यह परवाह नहीं करता है कि संस्था जीवित है या मृत। कोई भी साल लोग मिल कर गैर सरकारी संस्था बना सकते हैं। गैर–सरकारी संस्थाओं की संख्या के बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। "गैर–लाभ" के लिए काम करने वाली संस्था को एनजीओ कह दिया जाता है। आज इसमें समृद्ध खेल क्लब,

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

निवासी कल्याण संस्थाएं, पांच सितारा निगमित अस्पताल और ऊंचे स्तर की शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं। सूची में सरकार द्वारा स्थापित और संचालित अनेक गैर–सरकारी संस्थाएं हैं। 15 लाख का जो आंकड़ा संचार माध्यमों में दिया जाता है वह किसी वैज्ञानिक आकलन पर आधारित नहीं है, बल्कि मात्र अनुमान है। कहना न होगा कि इस स्थिति ने न केवल लोगों के मन में भ्रम पैदा किया है, बल्कि विकास कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को अलाभकारी स्थिति में डाल दिया है। कभी–कभी हम कहते हैं कि पुराने पड़ चुके कानूनों ने इस क्षेत्र में रातोंरात गायब हो जाने वाले चरित्रों के प्रवेश को सुगम बनाया है। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि गैर–सरकारी संस्थाओं को खरीदा, बेचा या दहेज में दिया जा सकता है। अधिकतर घौटाले ऐसे ही संगठनों की समस्या है जिसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ता है। ऐसा निंदाजनक व्यवहार सच्ची संस्थाओं पर अभियोग चलाने के लिए चारा मुहैया करता है।

स्वैच्छिक क्षेत्र को परिभाषित और अलग करने वाला दूसरा कानून है – आयकर कानून। पर इसका भाग 2(15) भी क्षेत्र को उसकी कार्यगत वास्तविकताओं के अनुसार परिभाषित नहीं कर पाता। इसके छह भाग हैं और अंतिम भाग के अंतर्गत विकास संस्थाएं आती हैं। सभी अन्य वर्गों को संसाधन जुटाने और अपने परोपकारी लक्ष्य हासिल करने के लिए उपयोग करने की अनुमति है। किन्तु अंतिम वर्ग पर ही 25 लाख की सीमा थोपी गई है। दिलचस्प बात यह है कि अन्य सभी को उतने संसाधन जुटाने की अनुमति है जितना वे चाहते हैं। उदाहरण के लिए "स्वास्थ्य प्रदायगी" के अंतर्गत एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत प्राइवेट पांच–तारा अस्पताल चाहे जितने संसाधन जुटा सकता है जो करमुक्त रहेंगे। स्थिति अपनी परियोजनाओं में स्वैच्छिक क्षेत्र को शामिल करने में सरकार के तरीके से और भी जटिल हो जाती है। कई बार ये कार्य खुली टेंडर पद्धति पर आधारित होते हैं जहां आकलन अधिकार इसे व्यवसाय के रूप में परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी संस्था ने अपनी स्थापना के समय से महिला सशक्तीकरण के लिए कार्य किया है और यही कार्य उनका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन वह संस्था सरकार के साथ केवल उप–ठेकेदार के रूप में काम कर सकती है।

भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला अन्य डरा देने वाला कानून एफसीआरए है। यह बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के नागरिकों पर लागू किये जाने वाले सर्वाधिक गुप्त प्रकार के कानूनों में से एक है। चाहे कोई संस्था समय पर अपने रिटर्न भर रही हो और सच्ची भावना के साथ कानून का पालन कर रही हो, मंत्रालय के साथ उसकी क्या स्थिति है यह कभी निश्चित नहीं हो सकता। रसीदों की प्राप्ति सूचना की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है, इसलिए विभाग कभी भी कह सकता है कि उसे रिटर्न प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके पास एकमात्र प्रमाण स्पीडपोस्ट की प्राप्ति रसीद होती है। आय कर विभाग की तरह प्राप्ति का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। चाहे एफसीआरए के नियम यह कहते हैं कि संस्थाओं को केवल 6 वर्ष तक रिकार्ड रखने हैं, पर जांच के दौरान संस्था की स्थापना के बाद से जानकारी मांगी जाती है। गैर–सरकारी संस्थाएं विभाग तक पहुंच नहीं बना सकती और केवल अधिसूचनाएं प्राप्त कर सकती हैं और यह जानने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट देखती रह सकती हैं कि क्या उन्हें ब्लैकलिस्टिड तो नहीं किया गया है। कार्यान्वयन का जिम्मा प्राप्तिकर्ता पर है और मंत्रालय पर दस्तावेजों को रखने की जिम्मेदारी नहीं है। सारी जांचें आईबी द्वारा की जाती हैं और जांचों में अगर दशक नहीं तो वर्षों लग जाते हैं और कोई भी इन विलम्बों को लेकर सवाल नहीं उठा सकता। क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्टें आरटीओ के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, इसलिए स्वैच्छिक संस्थाओं को शायद ही कभी यह पता नहीं चल पाता कि उन्हें दी गई सजा का कारण क्या है। एक आधे पैराग्राफ का पत्र वर्षों तक उनके बैंक खातों को निष्क्रिय रख सकता है और इसमें अपील करने की भी कोई संभावना नहीं होती। हमारे पास ऐसे मामले हैं जिनमें पिछले चार वर्षों से जांच चल रही है।

उक्त सभी तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि क्षेत्र के लिए नियमनकारी सुधारों की जरूरत है हमें भारतीय गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय पंजीकरण कानून की जरूरत है जो न केवल क्षेत्र की सफाई कर सके, बल्कि क्षेत्र का वर्गीकरण भी करे। हमें कुछ मंत्रालयों में गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा आवश्यक ऑनलाइन रिपोर्टिंग की प्रणाली भी विकसित करनी होगी। स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित सभी नियमों को एक छत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि आपसी जवाबदेही और पारदर्शिता विकसित की जा सके। यहां पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने पहली बार भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था और योजना आयोग से राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति तैयार करने को कहा था। यह नीति वर्ष 2007 में तैयार की गई पर पिछली सरकार ने इसका पालन नहीं किया। क्योंकि वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करने का और स्वैच्छिक क्षेत्र में सुधार के लिए आयोग का गठन करने की बात कही है, इसलिए आशा कर सकते हैं। इससे न केवल क्षेत्र का आत्म–विश्वास मजबूत बनेगा, बल्कि ह्रास से इस क्षेत्र की रक्षा भी हो सकेगी। अगर आज आप इस क्षेत्र में देखें तो पता चलता है कि जिन्होंने अपने जीवन नवाचारपूर्ण कार्यों पर लगा दिये वे आज अनुदानकर्ताओं के लिए उप–ठेकेदारों के रूप में काम कर रहे हैं और जिन्होंने विकास के ज्ञान–सिद्धांत में योगदान करने में लगा दिये वे गैर–लाभकारी कंसल्टेंसी फर्में बन गये हैं।

अभिवादन सहित,

हर्ष जेतली
मुख्य कार्य–अधिकारी

बजट 2015: संतुलित या पक्षपातपूर्ण

— अर्जुन कुमार फिलिप्स, संचार अधिकारी, वाणी

जब वित्त मंत्री धैर्य के साथ देश का 2015 का बजट प्रस्तुत करने के लिए आये तब दो शब्द देशव्यापी बन गये थे। ये शब्द थेः विकास और आशावाद। इसकी ध्वनि हर जगह सुनाई दी, कुछ ने इसे "संवृद्धि उन्मुख", "विकास अनुदेश" भविष्य का स्वप्न के रूप में सराहा और इसका स्वागत किया। विकास की बातों को दोहराते रहने की वजह से ही एनडीए सरकार निश्चित बहुमत हासिल कर सकी। मतदाताओं ने यह देखा कि नरेंद्र मोदी, जो गतिशीलता और प्राधिकृत नेतृत्व को प्रकट करते थे, उनकी एक देश को जरूरत थी – एक ऐसा देश जो भ्रष्टाचार और आर्थिक संवृद्धि के ह्रास के दलदल में फंसा था। नरेंद्र मोदी का बस यही कहना था कि "बदले में हमें विकास के लिए वोट दें"

वैचारिक या विचारधारात्मक के संबंध में अब तक जो हल्लागुल्ला मचा है, वर्तमान सरकार ने विकास और आर्थिक संवृद्धि के प्रति अपनी वचनबद्धता को बनाये रखा। पर इन वायदों का व्यवहार में रूपांतरण बजट 2015 को जारी करने के समय तक प्रतीक्षित था। यानी यह आशा की जा रही थी कि ये वायदे वास्तविकता में बदलेंगे।

बजट 2015 को आर्थिक संवृद्धि और विकास के प्रोत्साहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था। इन अपेक्षाओं पर सेक्टरों का विभाजन स्पष्ट था। विशेषकर निजी या कारपोरेट क्षेत्र का। हर किसी को यह आशा थी कि उसे इस बंटवारे में कुछ हिस्सा मिलेगा और हर क्षेत्र को इसका कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। अर्थव्यवस्था को सब्सीडाइज करने और व्यवसाय के लिए मंत्रीपूर्ण तैयार करने की दृष्टि से बजट ने सामाजिक व्यय के क्षेत्र में अनेक लोगों को निराश किया है। अगर एक बार देखें तो सरकार ने सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के लिए अनुबंधित आवंटन दिये हैं वे योजनाएं जो मुख्यतः स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास पर आधारित हैं, उनका नुकसान हुआ है।

यह समझा जा सकता है कि ठोस आर्थिक कार्य के लिए व्ययों या खर्चों में कमी लाना आवश्यक है, पर यह बात भी सही है कि यह कार्य सीमांतीकृत, निर्धन और दलित लोगों की लागत पर नहीं किया जा सकता।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, बजट ने निजी कंपनियों (कार्पोरेट्स) की जरूरत पर बल दिया और इस संदर्भ में मान्यता

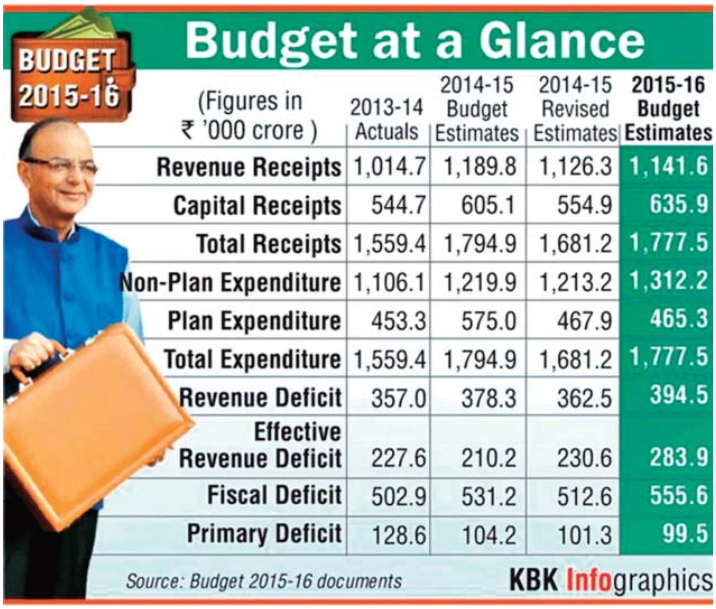

प्राप्त की। पर इसने गरीबों को एक दम अलग–थलग कर दिया, जोकि एकदम स्पष्ट है पर सभी सामाजिक योजनाओं की काटछांट नहीं की गई। नई सरकार ने पुराने तरीकों में नया स्वर भरते हुए यूपीए की पुरानी विरासत के कुछ पहलुओं को लागू किया उसके बाद निगमित क्षेत्र की कंपनियों के मामले में करों में कटौती की गई जो कि अपेक्षित था।

सब्सीडी में कमी

आधुनिक आर्थिक परिचर्चा या संवाद में सब्सीडियों की पुरानी सोवियत संघ की प्रणाली के ऐसे अवरोध माना जाता है जो अक्षमता को जन्म देते हैं और राज्य पर व्यय का पूरा भार डाल देते हैं। यह तर्क यह उचित है! सब्सीडियां आर्थिक संवृद्धि या विकास के लिए एक दुविधा पैदा कर देती है क्योंकि अवसंरचना और विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) का व्यय निम्न बाजार दरों की और निर्देशित होता है

हमारे देश का वित्तीय घाटा अब चिंताजनक हो गया है। इसके लिए यह जरूरी है कि व्यय और प्राप्तियों के बीच की कमियों को तत्काल दूर किया जाये। अपने बजटीय आवंटन में एनडीए सरकार ने तेल की भूमंडलीय कीमतों में कमी आने की वजह से लक्षित सब्सीडियों को कम किया है। इसका भोजन,

पैट्रोलियम और उर्वरकों की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्री ने भावनात्मक रूप से खड़े होकर सब्सीडियों में कमी लाने की अपनी सरकार का बचाव किया।

पर चिंता और निराशा की बात यह है कि एक ऐसे देश में – जहां पांच वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और देश की 80 प्रतिशत आबादी (एक अरब 20 करोड़) दो डालर प्रतिदिन पर गुजारा कर रही है – खाद्य सब्सीडी के लिए औसत या सामान्य आवंटन किया गया है। भारत में 20 प्रतिशत लोगों की ही भोजन तक पहुंच है और बाकी 80 प्रतिशत भूख और निर्धनता से पीड़ित है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की विफलता की वजह से देश को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। जरूरत इस बात की है कि जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत बनाया जाये। सरकार का उद्देश्य वित्तीय समेकन करना है, पर इस कार्य को निर्धनों की खाद्य सब्सीडियों को अलग–थलग करके हासिल नहीं किया जा सकता।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय में काटछांट

बजट ने आवंटन के फैसले की निपुणता के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश निधि का निर्माण करके और ग्रामीण अवसंरचना विकास में 25,000 करोड़ रुपये के आवंटन द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में भारी–भरकम निवेश ने कई लोगों में आशा जगाई क्योंकि यह क्षेत्र निष्क्रिय और लुप्त पड़ा था। निर्धनता निवारण और राष्ट्रीय प्राथमिकता योजनाओं की दिशा में प्रतिबद्धता को जारी रखा जायेगा, पर कुछ योजनाओं को हटाया भी गया है। इस सारी साबाशी और स्वागतपूर्ण माहौल के साथ ही बच्चों को लक्ष्य बनाने वाली सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के आवंटन को कम कर दिया गया है। प्रतिशत गिरावट की दृष्टि से देखें तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजटीय आवंटन को 0.16 प्रतिशत से घटा कर 0.13 प्रतिशत

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की विफलता की वजह से देश को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। जरूरत इस बात की है कि जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत बनाया जाये।

कर दिया गया है। समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के मामले में अत्यधिक कमी देखी गई है। इसका बजट 21,193.88 करोड़ से घटकर 10,382 करोड़ हो गया है। यह 51 प्रतिशत की गिरावट है। कहना न होगा कि ये योजनाएं अपने लक्ष्य कार्यान्वयन की दृष्टि से आंशिक रूप से सफल रही हैं। उदाहरण के लिए समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) बीमारू राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत में सफल रही है। इससे अगर कुपोषण का उन्मूलन नहीं हुआ तो उसमें कमी अवश्य आई है। इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान की शिक्षा का सार्वजनीकरण करने की परियोजना ने परिमाणात्मक (क्वांटिटेटिव) सफलता दर्शाई है। इससे स्कूल न जाने वाले 6–14 वर्ष के बच्चों की आबादी वर्ष 2001 के 28.5 प्रतिशत की तुलना में घट कर वर्ष 2005 में 6.94 प्रतिशत हुई है। शिक्षा के लिए आवंटन निराशाजनक रहे हैं। इनमें कुल मिलाकर 17 प्रतिशत की गिरावट आई है। चाहे सरकार शिक्षा में 'नई मंजिल' और आजीविका योजनाओं को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, उसके गर्व महसूस करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह इस वर्ष अलग नाम से घोषित वही समान नीति है।

एक अन्य निराशाजनक पहलू था –स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश में गिरावट। जहां वित्त मंत्री ने पांच राज्यों में आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) स्थापित करने की घोषणा की वहीं एड्स नियंत्रण के क्षेत्र के आवंटन में काफी कमी लाई गई। सार्वजनीन स्वास्थ मिशन के लिए मात्र 33,150 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारुप के अनुसार सरकार 2.5 प्रतिशत व्यय करना चाहती थी।

नई सरकार ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) में थोड़ी सी वृद्धि की हालांकि प्रधान मंत्री मोदी ने खुले आम यूपीए सरकार द्वारा शुरु की गई

इस योजना की आलोचना की थी। कार्यक्रम की सक्षमता को देखते हुए हम "परिसंपत्ति निर्माण के लिए मजदूरी" वाले कार्यक्रम का आवंटन बढ़ा कर 39,699 करोड़ किया गया। ऐसा नहीं कि अग्रणी कार्यक्रमों के वित्तपोषण (फंडिंग) में गिरावट आई है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र मंत्रालय के परिव्ययों में भी गिरावट आई है। यह परिव्यय (आउटले) वर्ष 2013–14 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.92 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में गिर कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.68 प्रतिशत हो गया।

किन्तु सामाजिक क्षेत्र व्यय के मामले में हर बात निराशाजनक नहीं है। बजट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र–राज्य संसाधन राशि में राज्यों के अंश को बढ़ाया गया है। यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की दिशा में झुकाव को दर्शाता है। राज्यों को स्वायत्तता देने से वे लक्ष्यबद्ध राज्य योजनाओं पर अधिक व्यय कर सकेंगे। यह वित्तीय संघवाद और संसाधनों की राशि में हिस्सेदारी या अंश को बढ़ाने से लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

अप्रत्यक्ष करः निर्धनों पर बोझ

निगमित क्षेत्र के प्रति बजट की उदारता के साथ ही प्रत्यक्ष करों में कमी लाई गई जबकि मध्यम और निर्धन वर्गों को प्रभावित करने वाले अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि देखी गई। वित्तीय अनुदानवादी निगमित वर्ग पर "बोझ" डालने की तुलना में इस पश्चगामी कर ढांचे का स्वागत करके खुश हुए। सेंटर फार बजट गवर्नेंस एंड एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) का कहना है कि अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाने की घटनाएं प्रत्यक्ष करों की कीमत पर एक दशक से बढ़ती रही हैं यह एक ऐसे देश में हो रहा है जहां एक प्रतिशत धनी लोगों के पास 49 प्रतिशत आबादी जितनी संपत्ति है। अत्यधिक समृद्ध लोगों पर घोषित सरचार्जों में वृद्धि मुख्यतः प्रत्यक्ष करों से होगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की हिफाजत के लिए अप्रत्यक्ष करों को उपयोग किया गया है। एनडीए यूपीए की कर नीतियों के नक्शेकदम पर चल रही हैं। वित्त मंत्री की बात को थोड़ा अलग शब्दों में कहें तो निगमित कर में कमी को संवृद्धि और निवेश को तीव्र करने की जरुरत ने अनिवार्य बनाया है क्योंकि उच्चतर निगमित करों का परिणाम छूटें हैं और कोई राजस्व नहीं है। किसी के मन में भी सवाल उठेगा कि क्या उद्देश्य निवेश करने का है या पहले से ही बोझ तले दबे आम आदमी को कष्टों से मुक्त करने का? इस मामले में तो पहला तर्क सही लगता है।

अत्यधिक समृद्ध लोगों पर घोषित सरचार्जों में वृद्धि मुख्यतः प्रत्यक्ष करों से होगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की हिफाजत के लिए अप्रत्यक्ष करों को उपयोग किया गया है।

इससे क्या अच्छा निकल कर आया है?

सभी मामलों में बजट स्पष्ट रुप से निगमित क्षेत्र–समर्थक रहा है, पर अपनी संपूर्णता में इसने सामाजिक क्षेत्र के लिए भी थोड़ी परवाह दर्शाई है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, अधिकतर योजनाओं के और विशेष रूप से यूपीए से जुड़ी योजनाओं के मामले में वित्तपोषण को कम किया गया है, पर नई सरकार की स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को आय कर के भाग 80 जी के अंतर्गत 100 प्रतिशत की छूट दी गई है सूक्ष्म वित्तपोषण के लिए मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट दिफिनांस एजेंसी) की स्थापना एक सराहनीय कदम है। वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने वाली एक पहलकदमी के रूप में इससे स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त उद्यमों के विकास को बल प्राप्त होगा। "हर खेत को पानी" के नारे के साथ प्रधान मंत्री कृषि योजना शायद अकेली ऐसी योजना हो जिसे भारी कटौती का सामना कर रही अन्य योजनाओं की तुलना में मौद्रिक रूप से मजबूत बनाया गया है।

कृषि व्यय कमजोर बना हुआ है और विशेषज्ञों ने अधिक आवंटन प्राप्त न होने पर निराशा जताई है। काले धन पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास में एनडीए सरकार ने एक कानून प्रस्तावित किया है जिसके अनुसार जो अपनी विदेशी परिसंपत्तियों को छिपायेंगे उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। पूरे बजट का विश्लेषण करके कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जहां यह संतुलित दृष्टिकोण अपनाये हैं, पर बिडम्बना की बात यह है कि अंततः यह उद्योग निगमित कंपनियों के सरोकारों पर विचार करता है। हो सकता है विकास ऐसे वित्तीय परिव्ययों से हासिल किया जा सके, पर क्या यह विकास हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

– अर्जुन कुमार फिलिप्स, संचार अधिकारी, वाणी, नई दिल्ली

सार्क में स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए स्थान बनाना

— शिवानी वैष्णव, कार्यक्रम अधिकारी, वाणी

दक्षिण एशिया विरोधाभासों का क्षेत्र है। यह एक ओर जहां गतिशील, विविधतापूर्ण और विकासमान है, वहीं साथ–साथ अत्यधिक गरीबी मानव अधिकार उल्लंघनों और कुपोषण से भी पीड़ित है। इस क्षेत्र की उच्च रूप से स्तरीकृत सामाजिक बनावट इसके निम्न आंतरिक अभिशासन से और भी जटिल हो जाती है।

अपने आकार–आर्थिक, राजनीतिक और जनसंख्या की दृष्टि की वजह से भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका अदा करता है और भूमंडलीय मंचों में इसका प्रतिनिधित्व करता है। एक देश द्वारा लिये जाने वाले राजनीतिक और आर्थिक फैसलों का अन्य देशों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।[1] राष्ट्रीय राज्यों के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक, आर्थिक और पारिस्थितिक संपर्कों की वजह से सामाजिक आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग और भी जरूरी हो गया है। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना एक सकारात्मक कदम थी। इसमें भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालद्वीप, भारत और अफगानिस्तान (जो 2007 में सदस्य बना) शामिल हैं।

राष्ट्रीय राज्यों के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक, आर्थिक और पारिस्थितिक संपर्कों की वजह से सामाजिक आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग और भी जरूरी हो गया है। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना एक सकारात्मक कदम थी। इसमें भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भारत और अफगानिस्तान (जो 2007 में सदस्य बना) शामिल हैं; एक देश द्वारा लिये जाने वाले राजनीतिक और आर्थिक फैसलों का अन्य देशों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।[1]

हम लोग

"जनता से जनता के बीच संपर्क" सहयोग का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सार्क के अनुदेश के अंतर्गत बल दिया गया है। इसमें इस क्षेत्र के लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। दुर्भाग्य से इसकी व्याख्या केवल इस अर्थ में करना कि यह सरकारों के बीच संबंधों को बनाने के लिए है, इस अनुदेश के इरादे और संभावना के विपरीत जाता है। इसके अलावा सार्क और उसके सदस्य लालफीताशाही और अफसरशाही निष्क्रियता से पीड़ित हैं जो कि इस क्षेत्र के रूपांतरण और एकीकरण के लिए उत्साह को मंद कर देता है। अगर इस अनुदेश का लचीलेपन के साथ ही जाये तो यह अन्य हितधारकों को शामिल होने के लिए एक बड़ा स्थान निर्मित करता है। इनमें नागरिक समाज के संगठन और निजी क्षेत्र शामिल हैं। एक के बाद एक आयोजित सार्क सम्मेलनों ने विभिन्न स्तरों पर "जनता से जनता के बीच" संपर्क की जरूरत पर बल दिया है। नवम्बर 2014 को

1. *सार्क की तरह अन्य क्षेत्रीय अंतः सरकारी संगठन इस प्रकार हैं: अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग, एसियान, यूरोपीय यूनियन, अमेरिकी राज्य संगठन, कैरीबियन कम्यूनिटी और यूनियन आफ साउथ अमेरिकन नेशंस (यूएसएएन)*

हाल में काठमांडू में आयोजित अठारहवें सार्क सम्मेलन में अभिशासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोन्नत करने में जन भागीदारी और 2015 के बाद के विकास एजेंडा के अंग के रूप में टिकाऊ विकास लक्ष्यों को संदर्भ प्रदान कराने के महत्व को फिर से दौहराया गया।

इसके अलावा, काठमांडू में सार्क सचिवालय, भूटान में सार्क विकास फंड और अन्य ग्यारह क्षेत्रीय केंद्र जिसमें सार्क महासचिव, विदेश मंत्रालय के सदस्य, कर्मचारी शामिल हैं – ये सारी बातें संस्थागत संबंधों के पक्ष में प्रणाली को पूर्वाग्रहपूर्ण बना देती है। इन संस्थाओं का ढांचा और प्रक्रियाएं सार्क के एजेंडा और समझौतों के कार्यान्वयन में नागरिक समाज की भागीदारी को अपवर्जित करते हैं।

कोलंबो में आयोजित दसवें सम्मेलन (1998) के दौरान सूत्रित और इस्लामाबाद में 12 वें सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित सार्क सामाजिक चार्टर के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई थी कि, "सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को प्रोन्नत करना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेज करना और सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने तथा अपनी पूर्ण क्षमता हासिल करने का अवसर प्रदान करना है। पर सामाजिक चार्टर के कार्यान्वयन का कार्य पूरी तरह से सदस्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है और इस तरह दक्षिण एशियाई नागरिक समाज को दरकिनार कर दिया गया है अनुदेश से नागरिक समाज को बाहर कर देने से क्षेत्रीय संस्था और इसके सदस्यों के लिए "निर्धनता उन्मूलन, जनसंख्या स्थिरीकरण, महिलाओं के सशक्तीकरण, युवाओं की लाभबंदी, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और पोषण की प्रोन्नति, बच्चों के संरक्षण के लक्ष्य हासिल करना असंभव हो जाता है। यहां तक कि सार्क सामाजिक चार्टर बनाते समय भी नागरिक समाज को सलाहकारी प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। बाद में साउथ एशिया सेंटर फार पालिसी स्टडीज (एसएसीईपीएस) ने आगे आकर दक्षिण एशिया नागरिक समाज संगठनों सरोकारों को शामिल करते हुए नागरिक सामाजिक चार्टर बनाया। पर यूरोपीय यूनियन और एसियान के विपरीत – जिनके पास अपने एजेंडा में नागरिक समाज के संगठनों को शामिल करने का ढांचा मौजूद है – सार्क में नागरिक समाज की भागीदारी का कोई अनुदेश नहीं है। एसएसीईपी के नेतृत्व में किये गये प्रयास के फलस्वरूप सार्क को मजबूरन नागरिक सामाजिक चार्टर पर विचार करना पड़ा। नागरिक सामाजिक चार्टर तैयार करने का यह भागीदारीपूर्ण और समावेशपूर्ण तरीका सार्क के बंद संस्थागत कार्यतंत्रों को पूरी तरह से विपरीत था।

एक कदम आगे, दो कदम पीछे

परंपरिक रूप से इस क्षेत्र की स्वैच्छिक संस्थाएं विकास, निर्धनता उन्मूलन, क्षमता निर्माण और सेवा प्रदायगी से संबंधित कार्यों में

स्वैच्छिक संगठनों के साथ घनिष्ठ अनुभव के दशकों के बाद क्षेत्र में उनके खिलाफ असंतुष्टि के स्वर सुनाई दे रहे हैं। मोहभंग की इस भावना में योगदान करने वाला एक प्रमुख कारक स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य का प्रमुख माडल है: निधियां टिकाऊ सामाजिक विकास के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं को ऐसे मॉडल के टिकाऊपन के बारे में अक्सर जिस तर्क संगत आलोचना का सामना करना पड़ता है। उसे न केवल भारत में बल्कि पूरे क्षेत्र में करना पड़ रहा है।

संलग्न रही हैं। दक्षिण एशिया में आंतरिक टकरावों, नागरिक युद्ध और आंतकवाद के राज्यों की सीमाओं के बाहर भी प्रभाव पड़ा है। इससे नागरिक समाज के संगइठनों को शांति–निर्माण, टकराव शमन और मानव अधिकारों को लेकर कार्य करना पड़ा है। उदाहरण के लिए ह्यूमन राइट्स डाक्यूमेंटेशन सेंटर (एसएएचआरडीसी), साउथ एशिया फोरम फार ह्यूमन राइट्स (एसएएफएचआर), दक्षिण एशिया में मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों के नेटवर्क हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के साथ घनिष्ठ अनुभव के दशकों के बाद क्षेत्र में उनके खिलाफ असंतुष्टि के स्वर सुनाई दे रहे हैं। मोहभंग की इस भावना में योगदान करने वाला एक प्रमुख कारक स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य का प्रमुख माडल है: निधियां टिकाऊ सामाजिक विकास के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं को ऐसे मॉडल के टिकाऊपन के बारे में अक्सर जिस तर्क संगत आलोचना का सामना करना पड़ता है। उसे न केवल भारत में बल्कि पूरे क्षेत्र में करना पड़ रहा है। नेपाल में सूक्ष्म वित्त और प्रभाव निवेश निधियां तेजी से टिकाऊ आर्थिक विकास की जगह ले रही हैं। दक्षिण एशिया में पारस्परिक करने पर बढ़ते हुए जोर के साथ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच की सीमाएं अस्पष्ट होती जा रही हैं।

पर कुछ सफलता की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन्हें आधार बनाया जा सकता है। यूनस्कों के एक सद्भावना दूत मदनजीत सिंह द्वारा साउथ एशिया फाउंडेशन के निर्माण के साथ वर्ष 2000 में जनता से जनता के बीच संपर्क को संभव बनाया गया। साउथ एशिया फाउंडेशन एक गैर–राजनीतिक, गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्य एजेंडा क्षेत्रीय सहयोग है। इसकी आठ स्वायत्त शाखाएं हैं – हर सार्क देश में एक–एक शाखा है। साउथ एशिया बीमन नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे दक्षिण एशिया फाउंडेशन ने सहायता प्रदान और यह इस समय नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एकेडमी से कार्य कर रहा है। इस मान्यता को आधार बना कर कि दक्षिण एशिया में हर जगह महिलाओं को निर्धनता, निरक्षरता, असमानता हिंसा जैसी समाज चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य विचारों में साझेदारी करके तथा सार्क देशों और म्यानमार में काम करते हुए इन चुनौतियों से निबटना है। वर्ष 2009 में एसडब्लयूएएन ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करने वाले सांसदों, नागरिक समाज कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। दक्षिण एशिया फाउंडेशन के क्षेत्रीय सहयोग और सामाजिक आर्थिक विकास में किये गये योगदान को ढाका में (2006) सार्क के मंत्रि परिषद में सातवें सत्र में मान्यता प्रदान की गई है।

इस दिशा में थिंपू में (2010) आयोजित सम्मेलन के दौरान एक और प्रगति हासिल की गई। इस सम्मेलन के फलस्वरूप दक्षिण एशिया फोरम का गठन किया गया। इस फोरम के एजेंडा में इस बात पर जोर दिया गया है कि दक्षिण एशिया और उसके भावी विकास पर परिचर्चाओं, विचार–विमर्शों का आयोजन किया जाना चाहिए और विचारों का आदान–प्रदान किया जाना चाहिए। सितंबर 2011 में सार्क, विदेश मंत्रालय, भारत और फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स (फिक्की) ने विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले जाने माने व्यक्तियों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। फोरम ने इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकारों के अलग सार्वजनिक निजी साझेदारी को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। सार्क और उसके कार्यतंत्रों की सफलता को इस क्षेत्र के विभिन्न तबकों के लोगों को औपचारिक संस्थागत तरीके से शामिल करने की जरूरत से जोड़ा गया।

सार्क और नागरिक समाज के संगठनो के संबंधों पर कोई भी विचार–विमर्श इस बात को स्वीकार किये बिना अधूरा रह जायेगा कि नागरिक समाज कोई एकीकृत इकाई नहीं है। इसमें व्यापक प्रकार के तबके शामिल हैं जैसे कि थिंक टैंक्स, अकादमिक लोग, स्वैच्छिक संस्थाएं, जमीनी स्तर के संगठन और कार्यकर्ता समूह। दक्षिण एशियाई नागरिक समाज के भीतर विभाजनों का कारण यह तथ्य है कि गैर–सरकारी क्षेत्र में अनेक रास्ते अस्तित्व में हैं जिनके बीच सहयोग या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप उनके हित अलग–अलग हैं और दक्षिण एशियाई क्षेत्र तथा समुदाय को मजबूत बनाने में उनका योगदान अलग–अलग है। पीपुल्स सार्क (पीएसएएआरसी) जैसे नागरिक समाज नेटवर्क इस क्षेत्र के साझे हित के मुद्दों में सहायता के लिए इन विभिन्न समूहों को एक साथ लाने में मदद करते हैं। पीपुल्स सार्क सम्मेलन के समानांतर जन सम्मेलन आयोजित करती है ताकि ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था निर्मित की जा सके जो दक्षिण एशियाआई क्षेत्र को प्रोन्नत करे।

जन–केंद्रित विकास पर ध्यान देकर दक्षिण एशिया के नागरिक समूह दक्षिण एशिया में सहयोग और क्षेत्रीयता का रास्ता तैयार कर सकते हैं। सरकारी एजेंसियों के विपरीत जो राजनीतिक और राजनयिक लेनदेन की जंजीरों में बंधी हैं, नागरिक समाज के संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। दक्षिण एशिया की जमीनी स्तर की संस्थाओं को अपने अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच की जरूरत है। वाणी जैसी संस्थाएं इस चुनौती का मुकाबला का सकती हैं और इस क्षेत्र में अपनी तरह की संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर सकती हैं। संभावना मौजूद है; हमें केवल अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करने की जरूरत है।

संदर्भ

अरलेग, सी.एफ.ए. कंपरेटिवपर्सपेक्टिव आफ सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट विथ एसिशन ऐड सार्क:

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/executive_education/Global%20South%20Workshop/paper_Arlegue.pdf

एशियान फोरम फार ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट (फोरम – एशिया) (2012), सार्क एंड ह्यूमन राइट्स, बैंकाक

बेहेरा, एन.सी. (2009), सार्क एंड बियोंडः सिविल सोसाइटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, काठमांडूः साउथ एशिया सेंटर फार पालिसी स्टडीज (एसएसीईपीएस)

डेलिनिक टी. और पांडेय, एन (2012), सार्कः टुवर्ड्स मीनिंगफुल कोआपरेशन। काठमांडूः सी.एस.ए.एस. और के.ए.एस.

पांडेय, एन. और श्रेष्ठा के (2012) बिल्डिंग ब्रिजिज एंड प्रमोटिंग पीपल टु पीपल एक्शन इन साउथ एशिया। ललितपुरः सेंटर फार साउथ एशियन स्टडीज

साउथ एशिया एलाएंस फार पावर्टी टूरेडिकेशन (एसएएपीई) (2014)। पीपल्स सार्क, हिस्ट्री एंड इवेल्यूएशन काठमांडू

http://www.saarc-sec.org/ Last accessed on 26th March, 2015.

http://www.saarc-sec.org/SAARC-Summit/7/ Last accessed on 26th March, 2015.

केन्या के नागरिक समाज की खोई हुई आवाज

— हावा नूर, कनिष्ठ शोधकर्ता, अभिशासन, अपराध और न्याय प्रभाग, आईएसएस, नैरोबी

1990 के दशक से – जब केन्या में बहुदलीय राजनीति को फिर से लागू किया गया, देश ने अनेक राजनीतिक रूपांतरण देखे हैं। 2010 में एक नया संविधान बनाया गया जिसने अभिशासन की प्रणाली का रास्ता तैयार किया।

यह संवैधानिक बदलाव, हालांकि आशावाद के साथ स्वागत–योग्य था, पर अनेक चुनौतियों की वजह से इसके कार्यान्वयन में बाधाएं आई हैं। इस पृष्ठभूमि में एक और मतदान संग्रह के लिए राजनीतिक आंदोलन उभर कर आया है।

अन्य विकासशील देशों की तरह केन्या में सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही हासिल करने में नागरिक समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक समाज के सक्रियतावाद ने अक्सर राजनीतिक अतिवाद को सीमित करने के लिए एक वस्तुगत आवाज प्रदान की है।

केन्या में नागरिक समाज को असर संस्थागत और जनतांत्रिक सुधार के लिए संघर्ष को बल प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इसका एक उदाहरण 1990 के दशक सुधारों की वह लहर है जिससे संस्थागत बदलाव आया और बह–दलीय जनतंत्र लागू किया। अंततः इसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई की तानाशाहीपूर्ण और एकदलीय हुकूमत का पतन हुआ।

केन्या में नागरिक समाज की भूमिका को नये संविधान की मांग का पर्याय माना जाता है। उसने 2005 के और साथ ही 2010 के संवैधानिक मत संग्रह में समीक्षा प्रक्रिया और नये प्रस्तावित संविधान की विषय वस्तु पर लोगों को शिक्षित करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किन्तु 2010 के संवैधानिक जनमत संग्रह के बाद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और बहसों में नागरिक समाज की निर्भीक भूमिका और आवाज में गिरावट आने लगी।

इस गिरावट का कारण नागरिक समाज के सदस्यों के बीच नृवंशता और राजनीतिक संरक्षण से उपजे आंतरिक झंगड़े ही मुख्यतः थे। इसके अलावा नागरिक समाज के कुछ संगठन पिछले दशक में सरकार में शामिल हुए हैं जिससे उनकी गतिशीलता कम हुई है। इसने एक स्पष्ट शून्य छोड़ दिया है जिसके कारण मानव अधिकारों के हनन, दंड न दिये जाने, पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव के बावजूद गहरी चुप्पी देखने को मिलती है।

इन सरोकारों को यूराइया ट्रस्ट द्वारा नैरोबी में आयोजित नागरिक समाज के संगठनों की हाल के बैठक में उठाया गया। इस बैठक में कहा गया कि तर्कपूर्ण आवाज के रूप में नागरिक समाज के प्रमुख में गिरावट आई है जबकि दंड हीनता बढ़ रही है जो अन्यायपूर्ण हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और जन संचार माध्यमों की आजादी के दमन में प्रकट हो रही है।

आगे इस बात पर भी गौर किया गया कि ये घटनाक्रम प्रगतिशील और जनतांत्रिक कार्यवाहियों के लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं और 1990 के दशक के तानाशाही शासन की ओर केन्या की वापसी कर सकते हैं। सार्वजनिक लाभ संगठन (पीबीओ) अधिनियम, 2013 में किये गये छलकपटपूर्ण संशोधनों ने नागरिक समाज के प्रयास को और भी हताश किया है इन संशोधनों को नागरिक समाज के संगठनों को चुप कराने में सरकार के संकल्प के संकेतक बताया गया है।

नये संविधान और अभिशासन की अंतरित प्रणाली द्वारा जगाई गई आशाओं के बावजूद केंद्र सरकार पर निधियों रोक कर और नियंत्रण बनाये रखने के लिए समानांतर अभिशासन ढांचों का

कार्यान्वयन करके इस प्रक्रिया को विफल करने का आरोप लगाया गया है।

आंशिक रूप से इन चुनौतियों के कारण मतदान संग्रहों के लिए दो पहलकदमियां उभर कर आई हैं। ये पहलकदमियां हैं – पेसा मशिनानी और ओकोवा केन्या। पेसा मशिनानी का नेतृत्व गवर्नरों की परिषद (सीओजी) कर रही है, जबकि ओकोवा केन्या का नेतृत्व कोलीशन फार रिफार्म एंड डेमोक्रेसी (सीओआरडी) के अंतर्गत विपक्षी दलों का सहमेल कर रहा है। यह सहमेल पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के नेतृत्व में संचालित है। कयास लगाया जा रहा है कि शीघ्र ही दोनों पहलकदमियों का विलय हो जायेगा।

सार्वजनिक ध्यान का केंद्र एक ओर सीओजी तथा कोर्ड सहमेलों और दूसरी और सरकार। राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा के सत्तारूढ़ सहमेल के बीच भीषण राजनीतिक टकराव है। इसी का संचार माध्यमों और सर्वाजनिक जागरूकता पर बोलबाला है, जबकि नागरिक समाज की आवाज स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

पेसा मशिनानी पहलकदमी देश में हस्तांरित ढांचों की सहायता के लिए राजस्व आवंटन में वृद्धि के लिए आंदोलन चला रही है। इस अभियान का कहना है कि 43 प्रतिशत का वर्तमान आवंटन 2009–2010 के राष्ट्रीय राजस्व संग्रह पर आधारित है जो कि वर्तमान वास्तविकता से मेल नहीं खाता। किन्तु आउंटी असेंवलियों के सदस्यों और उनके गर्वनरों के बीच हाल के झगड़ों (जिनके फलस्वरूप अनेक महाभियोग प्रस्ताव लाये गये कि आधार पर कुछ लोग इन पहलकदमी को आउंटी स्तर पर नागरिकों के विकास और कल्याण में सुधार का कार्य मानने की बजाये राजनीतिक कारण से अधिक निधियां हासिल करने का एक चालाकी भरा कदम मानते हैं।

दूसरी ओर आकोआ केन्या पहलकदमी – जिसकी स्थापना जुलाई 2014 में केन्याटा सरकार के साथ राजनीतिक सवांद के लिए कोर्ड की विफल मांगों के आधार पर हुई थी – न्यायिक और चुनावी सुधारों, राष्ट्रीय मेलजोल, भूमि और असुरक्षा पर केंद्रित 13 सूत्री एजेंडा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके विरोधी इसे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए सरकार को बदनाम करने की रणनीति बता रहे हैं।

जहां पेसा मशिनानी पहलकदमी राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हो सकती हैं, वहां ओकोआ केन्या पहलकदमी जटिलताओं और सवालों के घेरे में फंसी है जिनका उसके पास कोई उत्तर नहीं है। अधिक सामान्य रूप से देखें तो मुख्य विपक्ष कोर्ड सहमेल ने अब तक आम जनता को यह स्पष्ट नहीं किया है कि सुशासन

आउंटी असेंवलियों के सदस्यों और उनके गर्वनरों के बीच हाल के झगड़ों (जिनके फलस्वरूप अनेक महाभियोग प्रस्ताव लाये गये कि आधार पर कुछ लोग इन पहलकदमी को आउंटी स्तर पर नागरिकों के विकास और कल्याण में सुधार का कार्य मानने की बजाये राजनीतिक कारण से अधिक निधियां हासिल करने का एक चालाकी भरा कदम मानते हैं।

के ढांचों से वह क्या समझता है और ये ढांचे केन्या में किस प्रकास से काम कर सकते हैं। गहरी जड़े जमाये जो नृवंशीय (एथनिक) राजनीति है वह सभी केन्यावासियों के लिए मेलजोलपूर्ण और एकजुट राजनीति एजेंडा के लिए विभाजन और बाधाएं पैदा कर रही है।

कुल मिलाकर दो पहलकदमियां तथा सत्तारूढ़ सहमेल की पहलकदमियां एक ऐसे राजनीतिक संदर्भ में फंसी हैं जिसकी विशेषताएं हैं – उच्च राजनीतिक तापमान, भ्रम और वस्तुनिष्ठता का अभाव। परिचर्चा में तर्क की आवाज अनुपस्थित है और नागरिकों की समझदारी, भागीदारी और सहभागिता के लिए एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ पंच या निर्णयकर्ता की जरूरत है।

यह भूमिका पारंपरिक रूप से नागरिक समाज के पास रही है और अतीत में उसने जो काम किया वैसा काम करते हुए उसे इस भूमिका को वापस पाना चाहिएः उसे जनता को सूचित और शिक्षित करना चाहिए तथा सरकार, विपक्ष तथा अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के लिए नागरिकों को मंच प्रदान करना चाहिए। पर सबसे पहले यह जरूरी है कि वह अपनी सामूहिक आवाज को वापस पाये जो नृवंशीय राजनीति तथा राजनीतिक अभिजनों के उलट–फेर से अलग हों, साथ ही उसे नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नागरिकों के संरक्षक और संरक्षणकर्ता के रूप में अपनी जीवंतता को वापस पाना चाहिए।

– हावा नूर, कनिष्ठ शोधकर्ता, अभिशासन, अपराध और न्यायप्रभाग, आईएसएस, नैरोबी

नेता के विचार : पी.वी. राजगोपाल

इस साक्षात्कार में हमने जानेमाने गांधीवादी पी.वी.राजगोपाल से जो एकता परिषद के संरक्षक और वाणी की कार्य समिति के पूर्व सदस्य हैं, बातचीत की है। यह साक्षात्कार संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक को लागू करने हेतु लिए गये सरकार के फैसले और उससे पूर्व भूमि अध्यादेश के विरुद्ध जन आंदोलन के दौरान लिया गया। इस प्रयास में एकता परिषद ने 23–24 फरवरी को हरियाणा के पलवल से दिल्ली तक पद यात्रा का आयोजन किया और दिल्ली के जंतर–मंतर पर धरना दिया गया। इस अभियान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 5000 आदिवासियों ने भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक कार्यकताओं, विशेषकर भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा, अण्णा हजारे ने भी इसमें भागदारी की।

राजगोपालजी क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इस आंदोलन का उद्देश्य वास्तव में क्या है?

यह आंदोलन सरकार के उस भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ हैं जिसे सरकार संसद में विचारधीन प्रस्तुत करना चाहती है। पर इसमें हम यह देखते हैं निर्धनों और सीमांतीकृत लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। सरकार एक तीव्र कार्यविधि चाहती है जिसके जरिये लोगों की सहमति के बिना भूमि हासिल कर सके और उसे भारी कीमतों पर निजी कंपनियों को बेच सके सरकार बार–बार सभी के विकास (सबका साथ, सबका विकास) की बात करती है पर आदिवासियों, दलितों और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों को शामिल किये बिना इसकी कल्पना करना ही कठिन है। हमें याद करना चाहिए कि गांधी जी ने "सर्वोदय विकास" के बारे में क्या कहा था; इसका मतलब था सभी के लिए विकास और लाभ।

सरकार जनता के विकास के वायदे के आधार पर सत्ता में आई थी। पर क्या ऐसा विकास मान्य हो सकता है, जो निर्धनों की कीमत पर शीघ्र परिणाम हासिल करना चाहता हो? यह बात सच है कि इस विकास के खिलाफ हम नहीं हैं, पर जब इस प्रकार का विकास करोड़ों लोगों की आजीविका और घरों को नुकसान पहुंचाये तो हमारे पास प्रतिरोध करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। अब समय आ गया है कि सरकार पश्चिमी अवधारणाओं पर नहीं, बल्कि देसी प्रणालियों पर आधारित विकास का मॉडल विकसित करे। हमने प्रधान मंत्री के मुंह से अक्सर यह सुना है कि उनकी सरकार लोगों को रोजगार देना चाहती है। पर रोजगार देने का वायदा तब कैसे

पूरा किया जा सकता है। जब सरकार निर्धनों की आजीविकाओं पर कुठाराघात करने पर आमादा हो। भूमि अधिग्रहण कानून लाकर सरकार उनकी आजीविकाओं को ही नष्ट करना चाहती है। आखिरकार यह आजीविका का संघर्ष है; और आदिवासियों की आजीविका का एकमात्र स्रोत भूमि है।

लाल किले की प्राचीरों से हमने प्रधानमंत्री का यह दावा सुना कि उनकी सरकार करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। पर जब सरकार दबेकुचले लोगों की आजीविका छीन लेती है तो क्या यह एक टिकाऊ विकल्प है?

सरकार जनता के विकास के वायदे के आधार पर सत्ता में आई थी। पर क्या ऐसा विकास मान्य हो सकता है। जो निर्धनों की कीमत पर शीघ्र परिणाम हासिल करना चाहता हो। यह बात सच है कि इस विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर जब इस प्रकार का विकास करोड़ों लोगों की आजीविका और घरों को नुकसान पहुंचाये तो हमारे पास प्रतिरोध करने के अलावा क्या कोई और रास्ता रह जाता है

राजगोपाल जी, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए आपकी सरकार से क्या मांगे हैं?

हमने सरकार के सामने चार मांगे रखी हैं।

1. संसद में आवास भूमि विधेयक 2013 को प्रस्तुत करें
2. राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का पुनर्गठन हो
3. भूमि सुधार नीति 2013 को मंजूरी दें
4. वन अधिकार कानून 2006 को मजबूत बनायें

मेरा मानना है कि इन मांगों को मानना सरकार के लिए कठिन नहीं होगा और वह इन्हें आसानी से स्वीकार कर सकती है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि अध्यादेशों को रद्द किया जाये।

क्या आपका मानना है कि सरकार आपकी मांगों को लेकर कार्रवाई करेगी?

मैं हमेशा आशावादी रहा हूं। प्रधानमंत्री खुद जमीनी स्तर से ऊपर उठे हैं, उनकी हमारे साथ समानुभूति होनी चाहिए। यह आंदोलन हमारे देश में आयोजित पदयात्राओं में एक विशाल पदयात्रा के कारण महत्व रखता है। हम अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर ग्रामीण आदिवासियों की विशाल बहुसंख्या पर विचार करें।

क्या आपके विचार से किसानों और आदिवासियों के लिए इस पदयात्रा के कोई जोखिम हो सकते हैं?

जब आंदोलन पलवल से शुरू हुआ तभी से वह खतरे में हैं। इसमें बड़ा खतरा क्या हो सकता है जब सीमांतीकृत लोगों की भूमि जोतो पर खतरा मंडरा रहा है? हो सकता है कि उनके न रहने पर किसानों और आदिवासियों की संपत्तियों पर बर्बरता का कहर ढाया जाये। यह उपनिवेशवाद ही विरासत है जिसे कार्यान्वित करने में सरकार को कोई हिचक नहीं है।

क्या आपको लगता है कि स्वैच्छिक संस्थाएं इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी?

मैं ऐसा नहीं सोचता क्योंकि यह एक अधिक आंदोलन उन्मुख मंच है जो हम निर्मित कर रहे हैं। बेशक पहलकदमी में उनकी स्वागत है, पर उनकी भागीदारी की व्यवहार्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर वे भागीदारी करती हैं तो यह संभव है कि सरकार एफसीआरए कर आदि के मुद्दों पर आंदोलन को निशाना बनाने का बहाना ढूंढ ले। एक तरह से इसे जन आंदोलनों का समेकन होना चाहिए। भविष्य के संघर्षों को ठोस बनाने हेतु जन आंदोलनों को आगे बढ़ाने का यह एकमात्र रास्ता हो सकता है।

– साक्षात्कारकर्ता: अर्जुन कुमार फिलिप्स,
संचार अधिकारी, वाणी, नई दिल्ली

संगठन का परिचय : दिशा सोशल आर्गेनाइजेशन

दिशा सोशल आर्गेनाइजेशन की स्थापना व्यापक ग्रामीण आबादी, विशेषकर महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करने के लिए 1984 में सुल्तानपुर में की गई थी। सुल्तानपुर सहारनपुर जिले का अर्ध–शहरी क्षेत्र है।

संस्था के आरंभिक कार्यकलाप इस प्रकार थेः पारंपरिक बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, बान मजदूरों (विशेषकर दलितों) को संगठित करना; सिलाई प्रशिक्षण स्कूल चलाना (विशेषकर दलित और मुस्लिम महिलाओं के लिए) महिलाओं और पुरुषों के लिए शिक्षा केंद्र और साथ ही स्वास्थ्य प्रशिक्षण आयोजित करना। इन आरंभिक कार्यकलापों से आगे बढ़ कर दिशा आज एक पेशेवर तरीके से प्रबंधित संस्था बन चुकी है आज दिशा संस्था दो उत्तरी राज्यों – उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के व्यापक क्षेत्र में 40 लाख लोगों के साथ काम कर रही है।

विजन

एक ऐसा समतापूर्ण समाज बनाना जहां जेंडर, नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो और जो समान सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक अवसर प्रदान कर सके।

मिशन

महिलाओं, निर्धनों, दबे–कुचले लोगों और कमजोर तबकों को टिकाऊ समूहों में लामबंद करना ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण हो सके।

रणनीति

लक्ष्य समूहों को लामबंद करना और उन्हें इस तरह से सशक्त बनाना कि वे अपनी समस्याओं को हल कर सकें।

दिशा सोशल आर्गेनाइजेशन संस्था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काम करती है। उत्तर प्रदेश में संस्था सहारनपुर में आधारित है और साथ ही देहरादून उत्तरकाशी तथा हरिद्वार से भी अपना कार्य संचालित करती है।

दिशा सोशल आर्गेनाइजेशन (डीएसओ) के कार्यक्रम

1. आजीविकाएं

अब दिशा का आजीविका संबंधित कार्य दिशा इंडिया माइक्रो क्रेडिट के अंतर्गत प्रबंधित किया जाता है। इसके माध्यम से दो राज्यों के 326 गांवों के 29,724 सेवाग्राहकों को लाभ प्रदान किया जाता है। दिशा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संयुक्त लायेबिलिटी समूह (जेएलजी) इन दोनों पद्धतियों के माध्यम से कार्य करती हैं। हजारों ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण और बीमा उपलब्ध कराकर दिशा ने सहारनपुर, रुड़की और देहरादून में – जहां उसकी कार्यक्रम इकाइंया आधारित हैं – उद्यम विकास को काफी बल पहुंचाया है।

ये उद्यम मुख्यतः उन महिलाओं के लिए हैं जिनका प्रमुख पेशा कृषि नहीं है, पर संस्था ने कृषि पर भी समाज रूप से बल दिया है। संस्था ने सहारनपुर जिले में कृषि के विविधीकरण का सफल रूप से कार्यान्वयन किया है और इस समय वह रामपुर और मुरादाबाद जिलों में इसी प्रकार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

2. महिला सशक्तीकरण

दिशा का एक मुख्य कार्यक्रम समाज के पिछड़े और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाओं का सशक्तीकरण करना है संस्था विभिन्न कार्यक्रमों और शैक्षिक केंद्रों के माध्यम से अनेक रूप से जेंडर समानता के लिए कार्य करती है। दिशा संस्था का यह दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार तभी लाया जा सकता है जब लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जाये। इस उद्देश्य से संस्था अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक हितधारकों को साथ कार्य कर रही है। इसके हाल के कुछ कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- कार्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में छात्र रैलियां
- यात्राएं और बैठकें
- नुक्कड़ नाटक और कठपुतली का प्रदर्शन
- कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना
- कार्यशालाओं और सेमिनारों में भागीदारी

अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दिशा निम्नलिखित रूप में भी हस्तक्षेप करती है:

क) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को लेकर एडवोकेसी करना

ख) नारी आदालतों का आयोजन

ग) महिला समानता के लिए एडवोकेसी और जागरूकता

कार्यशालाएं आयोनित करना

घ) छात्रों को साथ लेकर महिलाओं की रैलियों और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना।

मुस्लिम किशोरियों के लिए शिक्षा

दिशा के पास विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से शिक्षा को प्रोन्नत करने का विविधतापूर्ण अनुभव है। संस्था ने अनेक वर्षों से भारत सरकार की साझेदारी में वयस्क साक्षरता, पूर्ण साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार को लेकर तथा साथ मुस्लिम समुदाय की किशोरियों को लेकर कार्यक्रम कार्यान्वित किये हैं।

मुख्यतः मुस्लिम लड़कियों को बुनियादी प्राथमिक पाठ्यक्रम पूरा कराने के उद्देश्य से हर तीन वर्षों में 10 गांवों का चयन किया जाता है। यह शिक्षा उन्हें तीन वर्षों में पूरी कराई जाती है ताकि अगर वे चाहे तो वे स्कूलों में मुख्य धारा की माध्यमिक शिक्षा में शामिल हो सकें। 2009 से 2012 के बीच में 10 गांवों में दिशा के 10 शिक्षा केंद्रों में लगभग 366 लड़कियों का नामांकन कर उनसे प्राथमिक शिक्षा पूरी कराई गई। अधिकतर लड़कियां 12–18 वर्ष आयु समूह की हैं और मुख्यतः मुस्लिम समुदाय से आती हैं और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी।

इसके साथ ही इस कार्य में माता–पिता और समुदाय को सकारात्मक रूप से शामिल किया जाता है ताकि लड़कियों के लिए एक सहायताकारी वातावरण तैयार हो सके।

इसके अतिरिक्त, जिन लड़कियों ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की है और अपने जीवन में बदलाव लाया है, वे अब ऐसे उदाहरण बन गई हैं जिन्होंने माता–पिता को अपनी लड़कियों की शिक्षा के बारे में सकारात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया है। शिक्षा केंद्रों में माता–पिता के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित

की जाती है। और सामाजिक सुरक्षा, भूमि अधिकार, मनरेगा के जरिये रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाता है।

शिक्षा को जारी रखने के लिए दिशा ने शिक्षा केंद्रों के निकट ही पुस्तकालय खोले हैं जिनका लाभ लड़कियां उठा सकती हैं। 300 से अधिक बच्चे और वयसू इन पुस्तकालयों से पुस्तकों, अखबारों और अन्य सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा केंद्रों की लड़कियों ने इस सुविधा में महत्वपूर्ण योगदान किया है और पुस्तकें उपलब्ध होने से वे पढ़ने और निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हुई हैं।

मोर्चा के माध्यम से समुदाय विकास

दो समुदाय आधारित संगठनों – घड़ क्षेत्र के मजदूर मोर्चा और महिला मजदूर एवं लघु किसान मोर्चा–को मोर्चों के रूप में जाना जाता है। इनकी जड़े उन जन संघषों में निहित हैं जो 1980 और 1990 के दशक में दिशा के नेतृत्व में चलाये गये थे। ये समान वेतनों और भूमि अधिकारों के लिए चलाये गये आंदोलन थे। समुदाय लाभबंदी के माध्यम से वे कार्य क्षेत्र में ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर अपने कार्य कों जारी रखे हैं।

मोर्चा चार ग्राम संकुलों में विभाजित है और चारों संकुलों की बैठक दिशा प्रशिक्षण केंद्र में हर महीने 24 तारीख को आयोजित की जाती है। मोर्चे के सदस्य गांवों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं (ग्राम पंचायतों) के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

हर मोर्चा संकुल की अनेक क्षेत्र स्तरीय मोर्चा समितियां हैं इस समय क्षेत्र स्तर की मोर्चा समितियों का पहले से चिन्हित मुद्दों (भूमि, वेतन, सामाजिक सेवा,

प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक प्रक्रियाएं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, रोजगार और सूचना–अधिकार) को लेकर क्षमता–वर्धन किया जा रहा है।

मोर्चा के सदस्य/कार्यकर्ता ग्राम, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर एडवोकेसी और सीधी कार्रवाई में संलग्न हैं। उनके प्रयासों के फलस्वरूप गांवों के हजारों निर्धनों ने आवास, नौकरी, पेंशन, राशन आदि के संबंध में अपनी हकदारियां प्राप्त की हैं।

आरोह अभियान

आरोह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में महिला किसानों के अधिकारों और उनके लिए न्याय की मांग करने के लिए चलाया गया एक आंदोलन है। दिशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्रीय समन्वय संगठन है और इस क्षेत्र के अनेक जिलों में अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं इस अभियान का समन्वय ऑक्सफैम (भारत) ट्रस्ट की सहायता से गोरखपुर पर्यावरण कार्य समूह (जीईएजी) कर रहा है।

महिला कृषक विश्व में विकास की महत्वपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वे अनाज उगाती हैं, उसका प्रसंस्करण (प्रोसेस) करती हैं, उसका प्रबंधन करती है और उसका विपणन करती हैं। महिला कृषक भारत में सबसे बड़ी कार्यशक्ति हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय 84 प्रतिशत महिलाएं कृषि और उससे जुड़े अन्य कार्यकलापों में संलग्न है। कृषि में आर्थिक रूप से सक्रिय अस्सी प्रतिशत महिलाएं रोजगार पर लगी हैं; वे कृषि श्रम बल का एक तिहाई और स्व–रोजगार में लगे किसानों का 48 प्रतिशत है।

एक अन्य अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश जहां 72 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी है, राष्ट्रीय अन्न भंडारों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं। हालांकि महिलाएं राज्य की आबादी का 48.5 प्रतिशत है, फिर भी कृषि में संलग्न महिलाओं की अभी भी उपेक्षा की जाती है। हालांकि वे 75 प्रतिशत कृषि कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है, फिर भी कृषि उत्पादकता में उनके योगदान को मात्र 12.9 प्रतिशत दर्शाया गया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी भागीदारी दर 18.4 प्रतिशत थी।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की कुल संख्या 54,180,232 थी जिसमें से 76 प्रतिशत पुरुष और मात्र 23 प्रतिशत महिलाएं थीं।

इन महिलाओं में से 34 प्रतिशत को काश्तकार और 41 प्रतिशत को श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पुरूषों के मामले में 42 प्रतिशत को काश्तकार और 20 प्रतिशत को श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे यह एकदम साफ हो जाता है कि इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए कार्य अवसर मात्र 23 प्रतिशत हैं और अधिकतर महिलाएं श्रमिकों के रूप में कार्य कर रही हैं। किन्तु इतनी बड़ी कार्य जनसंख्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

अगर वेतन या मजदूरी के मामलों में देखें तो राष्ट्रीय खाद्य भंडार में खाद्यानों का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर भी अनरू राज्यों तुलना में वहां मजदूरी कम है। भूमि पर महिलाओं के नियंत्रण के हिसाब से भी देखें तो राज्य में एक निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। केवल 6 प्रतिशत महिलाएं कानूनी रूप से भूमि की स्वामी हैं; जबकि भूमि पर संयुक्त स्वामित्व आश्चर्यजनक रूप से 3 प्रतिशत है।

दिशा इंडिया माइक्रो क्रेडिट

दिशा इंडिया माइक्रो क्रेडिट (डीआईएमसी) दिशा सामाजिक संस्था की एक सबसीडियरी यानी सहायक संस्था है। इसे कंपनीज अधिनियम 1956 के भाग 25 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य निर्धन और सीमांतीकृत लोगों को सहायता प्रदान करना था। अपने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से डीआईएमसी ऋण की मांग को लेकर गांवों में कार्य करती है। पिछले वर्षों के दौरान डीआईएमसी ने समुदायों तक अपनी पहुंच में विस्तार किया है। डीआईएमसी दिशा सामाजिक संस्था द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों – जेंडर लायेबिलिटी ग्रुप्स (जेएलजी) के माध्यम से कार्य करती है। स्वयं सहायता समूहों के लिए डीआई एमसी की सदस्यता 32,180 है। इसमें 23,089 ऋण लेने वाले थे और कुल मिलाकर 3,164.14 लाख का ऋण वितरित किया गया।

वाणी द्वारा 27 वें वार्षिक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन

18–19 फरवरी 2015 को वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) ने अपनी वार्षिक परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का विषय था – नियमनकारी सुधारों की जरूरत। इस बैठक का आयोजन विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के 250 संगठनों ने भाग लिया।

इस वार्षिक बैठक का उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने उपस्थित समस्याओं पर चर्चा करना और साथ ही स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के लिए एक कानूनी और नियमनकारी वातावरण का विश्लेषण करना था। इस विषय का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि देश में इस समय स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए क्या वातावरण मौजूद है संस्थाएं अपने दैनिक कार्यों में नियमनकारी समस्याओं का सामना कर रही हैं। एफसीआरए के पंजीकरण के नवीकरण के नियम से अनेक संस्थाओं को पेरशानी हुई है। इसलिए इस वर्ष के राष्ट्रीय परामर्श का उद्देश्य नियमनकारी सुझानों की जानकारी देना था।

आरंभिक सत्र में स्वैच्छिक क्षेत्र के अेनक निम्नलिखित विशेषज्ञ मौजूद थे।

डॉ. जयंत कुमार, चेयरपर्सन वाणी – उन्होंने बताया कि विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों में गिरावट के संदर्भ में किस तरह वर्तमान मुद्दे क्षेत्र के अस्तित्व के लिए खतरा खड़ा कर रहे हैं।

डेवलपमेंट सर्पोट टीम की पैट्रन, सुश्री मिनी बेदी – संस्थाओं को क्षेत्र की जरूरतों को लेकर आगे आने हेतु एकजुट होने और वाणी के तत्वावधान में सामूहिक रूप से कार्य करने की जरूरत है।

श्री पी.वी. राजगोपाल, पैट्रन, एकता परिषद – उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए स्थान को लेकर संघर्ष और सघन होने जा रहा है।

श्री जगदानंदा, सदस्य सचिव, सीवाईएसडी– उन्होंने संस्थाओं से आग्रह किया कि वे जवाबदेही के मानदंडों और अनुपालन कार्यविधियों का पालन करें।

निशा अग्रवाल, आक्सफैम – उन्होंने विदेशी अनुदान और हस्तक्षेपकारी नियमों से संबंध में क्षेत्र के सामने उपस्थित दिक्कतों के बारे में बताया।

सत्र 1 नियमनकारी वातावरण – एफसीआरए

सरकार ने वर्ष 2010 में नया विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम

अपनाया, जिसके नियमों को 2011 में अधिनियमित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विदेशी अनुदानों का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किये बगैर सच्चे उद्देश्यों से किया जाये। किन्तु पिछले कुछ महीनों में, स्वैच्छिक क्षेत्र ने इस कानून के कार्यान्वयन की वजह से अनेक बाधाओं का सामना किया है राष्ट्रीय परामर्श के इस सत्र का आयोजन नियमनकारी सुधारों के संदर्भ में एफसीआरए पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया गया था। साथ ही इसका उद्देश्य कानून के अनुपालन को बढ़ाना तथा एफसीआरए अधिनियम के बारे में स्वैच्छिक संगठनों की सामूहिक समझ को विकसित करना था ताकि समुदाय विकास के व्यापकतर लक्ष्य, स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समग्रतापूर्ण विकास और प्रभावकारी साझेदारियां स्थापित करने में उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। इस समय तो नवीकरण प्रक्रियाएं चल रही हैं उन्हें लेकर कई संस्थाओं के सामने कई ज्वलंत सवाल उपस्थित हुए हैं।

सत्र का संचालन वाणी के मुख्य कार्याधिकारी, श्री हर्ष जेतली ने किया और पैनलिस्टों में श्री जे.के. चट्टोपाध्याय, पूर्व उप सचिव (एफसीआरए), गृह मंत्रालय और श्री महेंद्र सिंह कंवर, सचिव, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर (एचएआरसी) शामिल थे।

सत्र 2 – नियमनकारी वातावरण – आय कर

आय कर वर्ष 1861 में लागू किया का। उस समय आय कर से परोपकारी उद्देश्य के कार्य को छूट थी। पर आने वाले वर्षों में आय कर में अनेक बदलाव किये गये जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस छूट का दुरूप्योग न किया जाये। स्वैच्छिक संस्थाओं को अभी भी अनेक छूटें प्राप्त हैं, किन्तु अधिनियम में एक नियमनकारी प्रावधान शामिल किया गया है और छूट के लिए इस प्रावधान का पालन करना होता है। अक्सर यह

महसूस किया है कि निगमित क्षेत्र के लिए तो आयकर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पर स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रति इससे उल्टा दृष्टिकोण अपनाता है। आय कर विभाग द्वारा अक्सर स्वैच्छिक संस्थाओं को निशाना बनाया जाता है और तंग किया जाता है। इस सत्र में आय कर के अंतर्गत कुछ विशिष्ट समस्याजनक कानूनों के बारे में बताया गया।

सत्र का संचालन हैल्पेज इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी, श्री मैथ्यू चेरियन न किया और पैनलिस्टों में श्री सुधीर चंद्र, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), श्री दीपक बंसल, चार्टेड एकाउंटेंट, सुभाष मित्तल एंड एसोसिएट्स और संजय पात्रा, कार्यकारी निदेशक, एफएमएसएफ शामिल थे।

सत्र 3: पंजीकरण कानून

स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने उसे अभिशासित करने वाले पंजीकरण कानूनों की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कानून सोसाइटीज पंजीकरण कानून है। यह 150 साल से भी पुराना बाबा आदम के जामने का कानून है और इसका उद्देश्य क्षेत्र की भावना के विपरीत है। इसे 1857 के विद्रोह के बाद उभरते सामाजिक आंदोलनों और संस्थाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसके अलावा सोसाइटीज का पंजीकरण एक राज्य विषय है जिसकी वजह से विभिन्न राज्यों में इस कानून को अपनाने में कई अंतर आ गये हैं। एकरूपता के इसी अभाव के चलते देश भर में स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ भेदभाव होता है और कार्यगत जटिलताएं सामने आती हैं।

इस सत्र का संचालन वाणी के मुख्य कार्याधिकारी श्री हर्ष जेतली ने किया और पैनल के सदस्यों में श्री संजय अग्रवाल, एफसीए, एकाउंटएड और डॉ. मजहर हुसैन, कार्यकारी निदेशक, कोवा शामिल थे।

सत्र 4: आंतरिक अभिशासन

इस सत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं के आंतरिक अभिशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार – विमर्श किया गया।

सत्र में अभिशासन के मानदंडों, जवाबदेही और पारदर्शिता के

मानदंडों के अनुपालन पर पुनः बल दिया गया। एक्रीडीशन/वेलिडेशन प्रक्रिया को एक तीसरे स्वतंत्र पक्ष द्वारा व्यवस्थित आकलन के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य उन स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रमाणन करना है जो अभिशासन के मानदंडों का अनुपालन करती हैं। सुशासन का संबंध संस्था द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता की नीतियों और मानदंडों के पालन से है जैसे कि बोर्ड में रोटेशन की नीति, मानव संसाधन नीति आदि। वित्त, ऑडिटिंग, वार्षिक रिपोर्ट आदि से संबंधित उपयुक्त दस्तावेजीकरण की उपलब्धता अधिकाधिक रूप से जरूरी होती जा रही है। आंतरिक अभिशासन संस्था से जुड़े लोगों के लिए और साथ ही स्वैच्छिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस सत्र का संचालन डॉ. जयंत कुमार, चेयरपर्सन, वाणी ने किया और पैनलिस्टों में श्री गौतम बोहरा, चेयरपर्सन, क्रेडिबिलिटी एलाएंस, डॉ. नम्रता जेतली, कार्यक्रम प्रमुख, सीएएफ इंडिया और श्री दत्ता पाटिल, कार्यकारी निदेशक, युवा रुरल एसोसिएशन शामिल थे।

सत्र 5: प्रबंधन (स्व–प्रमाणन)

इस सत्र में स्व–प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि स्वैच्छिक क्षेत्र में किसी भी संस्था के प्रबंधन का एक प्रमुख मुद्दा है। एक अधिकाधिक कठोर होते जा रहे वातावरण में – जहां संस्थाएं लगातार जांच के अंतर्गत रहती हैं, जहां संसाधनों में और कार्य के स्थान में कमी आती जा रही है – स्व–प्रमाणन के रूप अपनी विश्वसनीयता का दावा करना संस्था के जीवन और विकास के लिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि स्व–प्रमाणन एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, अतः सत्र में यह उजागर करने का प्रयास किया गया कि संस्थाएं किस प्रकार वह कार्य हाथ में ले सकती हैं जिससे उन्हें मान्यता मिले।

सत्र का संचालन श्री ए.के. गोल्डस्मिथ ने किया और पैनलिस्टों में श्री मानस सत्पथी, श्री धवल उडानी और मेजर जनरल सूरत संधू शामिल थे।

वस्तु के रूप में योगदान के लिए निल (शून्य) रिर्टन फाइल करना आवश्यक नहीं है (आर्टिकल्स और सिक्यूरिटीज के लिए एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत फाइल किये जाने वाले रिटर्न्स का विश्लेषण)

प्रस्तावना

1.1.1 विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत तीन प्रकार के रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत होती है। ये इस प्रकार हैं: कंसोलिडेटिड विदेशी योगदान के लिए एफसी–6; विदेशी स्रोत में प्राप्त आर्टिकल के लिए एफसी–7 और विदेशी स्रोतों से प्राप्त सिक्योरिटीज के लिए एफसी–8

1.1.2 एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि कोई योगदान प्राप्त नहीं करने पर भी संस्था को हर वर्ष निल रिटर्न फाइल करना होगा। एफसी–6 के अलावा एफसी–7 और एफसी–8 में निल रिटर्न फाइल करने के संबंध में भ्रम मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके संबंध में अलग–अलग विचार मौजूद हैं। कुछ संस्थाओं को यह मालूम नही है कि एफसी–6 के अलावा एफसी–7 और एफसी–8 में निल रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है।

1.1.3 कानून और नियमों में कहीं भी यह नहीं सुझाया गया है कि एफसी–7और एफसी–8 उन मामलों में जरूरी हैं जहां संस्था ने कोई आर्टिकल या विदेशी सीक्योरिटीज प्राप्त नहीं की हैं।

1.1.4 अगर कोई फार्म एफसी–6 को ध्यान से पढ़े तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी प्रकार के योगदानों के लिए है। दूसरे शब्दों में एफसी–6 में तमाम प्रकार के विदेशी योगदान शामिल किये गये हैं; जैसे कि नकद राशि, बैंक रिसीट्स, आर्टिकल्स, सीक्योरिटीज आदि। फार्म एफसी–6, फार्म एफ–6–7 और फार्म एफसी–7 का वर्गीकरण करना या उन्हें अलग–अलग रूप पर देखना उचित नही होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि फार्म एफसी–6 नकद और बैंक रिसीट्स के लिए है और फार्म एफसी–7 और एफसी–8 आर्टिकल्स और सीक्योरिटीज के लिए हैं।

1.1.5 यह ध्यान में रखना चाहिए कि फार्म एफसी–6 में आर्टिकल और सीक्योरिटीज शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें एक व्यापक अर्थ वाली शब्दावली का उपयोग किया गया है जो इस प्रकार है– वस्तु के रूप में प्राप्त किये गये योगदान।

1.1.6 अगर यह मान भी लिया जाये कि एफसी–7 और एफसी–8 को फाइल करना आवश्यक है तो यह तो यह कानून का उल्लंघन होगा क्योंकि एफसीआरए 2010 को एक मई 2011 को बनाया गया था। एफसीआरए विभाग रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए काफी पैनल्टीज लगाता है। ये पैनल्टीज या जुर्माना किसी भी फार्म को भेजने में देरी के लिए किये जाते हैं। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि एफसीआरए विभाग के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए विलंब से रिटर्न फाइल न करें।

1.1.7 इस अंक में एफसीआरए के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने का तकनीकी विश्लेषण किया गया है।

फाइल किये जाने वाले रिटर्न्स, स्टेटमेंट्स और प्रमाण पत्र

1.2.1 नियम 17 में यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर तक आय–व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान लेखा, बेलेंस शीट (तुलन–पत्र) को जमा किया जाना जरूरी है। वार्षिक रिटर्न भरने की आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:

- वार्षिक रिटर्न फार्म एफसी–6 में भरे जायेंगे और उनके साथ निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे
- लेखा–परीक्षित आय–व्यय–लेखा; लेखा–परीक्षित बेलेंस शीट (तुलन पत्र)
- बैंक द्वारा प्रमाणीकृत बैंक स्टेटमेंट (विवरण)
- यदि कोई लेनदेन न भी हो तो निल रिटर्न फाइल करना

1.2.2 रिटर्न और स्टेटमेंट्स फाइल करने से संबंधित कानून एफसीआरए 2010 के भाग 18 और एफसीआरआर 2011 के नियम 17 में इस प्रकार दिया गया है।

भाग 18 – सूचना

18(1) जिस हर व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई है उसे निर्धारित समय और निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार को सूचित करेगा जिसे केंद्र सरकार ने विनिर्दिष्ट किया हो। वह प्राप्त की गई राशि, उसके स्रोत और उद्देश्य के बारे में जानकारी देगा।

(2) विदेशी निधियां प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति स्टेटमेंट या विवरण की एक प्रति जमा करेगा जिसमें यह बताया जायेगा कि विदेशी निधियों के विवरण क्या हैं। इसे बैंक आधिकारी या विदेशी एक्सचेंस में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणीकृत किया जायेगा

और इस उप–भाग के अंतर्गत सूचना के साथ केंद्र सरकार को भेजा जायेगा।

नियम–17 प्राप्तिकर्ता द्वारा विदेशी अनुदान की सूचना

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी योगदान प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति फार्म एफसी–6 में भर कर अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। इसके साथ ही उसे आय–व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान लेखा और एक अप्रैल से आरंभ करते हुए हर वित्त वर्ष की बेलैंस शीट जमा करनी होगी। ये सब दस्तावेज भारत सरकार के सचिव, गृह मंत्रालय के पास जमा करने होंगे।

(2) एफसी–6 में भरे गये वार्षिक रिटर्न एक अलग बैंक खाते में प्राप्त विदेशी अनुदान को प्रतिबिंबित करेंगे और इनमें उपयोग के लिए अन्य बैंक खातों में किये गये हस्तांतरण भी शामिल होंगे।

(3) यदि विदेशी अनुदान केवल आर्टिकल्स तक सीमित है तो सूचना एफसी–7 में जमा की जायेगी।

(4) यदि विदेशी अनुदान का संबंध विदेशी सीक्योरिटीज से है तो सूचना फार्म एफसी–8 में जमा की जायेगी।

(5) उप नियम (2) से (4) के अंतर्गत जमा की गई रिपोर्ट चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होगी।

(6) एफसी–6 में भरे गये हर रिटर्न के साथ बैंक का लेखा विवरण भी जमा करना होगा जहां व्यक्ति का अलग से विदेशी अनुदान लेखा है; इसे उसे बैंक के अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा

(7) पिछले उप नियम में उल्लिखित लेखा विवरण व्यक्ति द्वारा अगले छह साल की अवधि तक अपने पास रखे जायेंगे।

(8) यदि वित्त वर्ष के दौरान कोई भी विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं किया गया तब भी निल रिपोर्ट जमा करनी होगी।

1.2.3 यह देखा जा सकता है कि नियम 17(1) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के विदेशी अनुदान 31 दिसंबर 2015 तक एफसी–6 फार्म में भर कर सूचित किये जायें। इसके अलावा नियम 17(8) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि वित्त वर्ष के दौरान को भी विदेशी अनुदान प्राप्त न होने पर भी निल रिपोर्ट जमा की जाये। नियम 17(8) के संदर्भ में निम्नलिखित दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

(i) निल रिपोर्ट की जरूरत एफसी–6 के मामले में है क्योंकि इसमें आर्टिकल्स और सीक्योरिटीज शामिल हैं।

(ii) उप–नियम में बहुवचन में रिपोर्ट शब्द का उपयोग नही किया गया है क्योंकि नियम 17 के अंतर्गत तीन प्रकार की रिपोर्टें जमा करने की जरूरत है। इसलिए यदि संस्था ने किसी विदेशी स्रोत से आर्टिकल या सीक्योरिटीज प्राप्त नहीं की हैं तो उसे एफसी–7 और एफसी–8 भरने की जरूरत नहीं है।

वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है

1.3.1 विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त किसी भी संस्था को कानून के अंतर्गत प्राप्त किये गये विदेशी अनुदान के लिए अलग से लेखा और रिकार्ड रखने की जरूरत है इन्हें चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए और विदेशी योगदान की प्राप्ति और उद्देश्य उपयोग के विवरण दिये जाने चाहिए। हर वित्त वर्ष के लिए रिटर्न (एक अप्रैल से 31 मार्च) वित्त के अंत से यानी 31 दिसंबर के 9 महीने में भरे जायेंगे। रिटर्न विहित फार्म एफसी–6 में भरे जायेंगे और उनके साथ चार्टेड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट और आय–व्यय लेखा संलग्न होगा। यह फार्म गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in/fcra/forms/fc-6.pdf

एफसी–6 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न्स के साथ आडिटिड प्रमाण पत्र और विवरण

1.4.1 एफसी–6 रिटर्न के साथ चार्टेड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र और लेखा–परीक्षित आय एवं व्यय लेखा; प्राप्ति और भुगतान लेखा और बेलेंस शीट को जमा करना होगा। चार्टेड एकाउंटेंट को निम्नलिखित को प्रमाणित करना होगा।

(i) वर्ष के आरंभ में आगे लाया गया विदेशी अनुदान का शेष

(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अनुदान

(iii) वर्ष के अंत में उपयोग किये गये विदेशी अनुदान का शेष

(iv) यह प्रमाण देना कि संस्था ने विदेशी अनुदान के लेखा और रिकार्डों का विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम 2010 के भाग 19 के अनुसार संधारण किया है और इस विदेशी अनुदान नियमन नियमावली 2011 के नियम 17 के अनुसार किया गया है।

(v) प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी और संलग्न बेलेंस शीट और प्राप्ति भुगतान लेखा में दी गई जानकारी

1.4.2 इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि एफसी–6 फार्म के अंतर्गत प्रमाण पत्र में चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणीकृत आय और व्यय लेखा का उल्लेख नहीं है। किन्तु यह सलाह की जाती है कि आय और व्यय लेखा सहित सभी वित्तीय विवरण चार्टेड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणीकृत हों।

1.4.3 गृह मंत्रालय ने चार्टेड एकाउंटेटों के लिए एक चार्टर की व्यवस्था की है जिसमें चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और अनुपालों के बारे में बताया गया है।

चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्य प्रमाण पत्र

1.5.1 जो भी संस्था वस्तु या सीक्योरिटीज के रूप में विदेशी अनुदान प्राप्त करती है उसे चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जहां भी लागू हो वहां निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।

- फार्म एफसी–7 के अंतर्गत वस्तु के रूप में विदेशी अनुदान के लिए प्रमाणपत्र
- फार्म एफसी–8 के अंतर्गत सीक्योरिटीज के रूप में विदेशी अनुदान के लिए प्रमाणपत्र

1.5.2 चार्टेड एकाउंटेट द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का परफोर्मा संबंधित फार्मों में दिया गया है

1.5.3 इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि चार्टेड एकाउंटेंट को भारतीय रुपयों में मौद्रिक रूप से वस्तु या सीक्योरिटीज के रूप में विदेशी अनुदान के संबंध में प्रमाणपत्र देना होगा। इसलिए चार्टेड एकाउंटेंटों को वस्तुओं और सीक्योरिटीज के मूल्य का प्रमाणन करना होगा। इस तरह के मूल्यांकन के लिए कोई मार्गनिर्देश नहीं हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि चार्टेड एकाउंटेंट्स अनुमानित और उपयुक्त मूल्यांकन करेंगे। इस उद्देश्य से चार्टेड एकाउंटेंट्स संस्था के प्रबंधक मंडल द्वारा दिये गये तथ्यों और घोषणाओं का उपयोग कर सकते हैं।

निल रिटर्न फाइल करना

यदि एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत संस्था को संबंधित वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नही हुआ है तब भी उसे निल रिटर्न फाइल करना होगा। फार्म एफसी–6 को हर वर्ष फाइल करना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रमाण पत्र को रद्द करने की शर्त एफसीआरए 2010 के भाग 14 के अंतर्गत यह है कि यदि संस्था ने लगातार दो वर्ष तक कोई उपयुक्त कार्यकलाप न चलाये हों तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

घोषणा और प्रमाणीकरण

1.7.1 एफसी–6 फार्म पर संस्था के मुख्य अधिकार को हस्ताक्षर करने होंगे और चार्टेड एकाउंटेंट का एफसीआरए निधियों के संबंध में तथा एफसीआरए निधियों के आरंभ और समापन बेलेंसों के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

1.7.2 एफसीआरए 2010 में मुख्य अधिकारी शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है सामान्यतः संस्था के प्रमुख को ही मुख्य अधिकारी माना जाना चाहिए। संस्था एफसीआरए रिटर्न भरने के उद्देश्य से महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से किसी अन्य पदाधिकारी को मुख्य अधिकारी पदानामित कर सकती है।

एफसीआरए रिटर्न विलंब से फाइल करने के लिए कठोर दंड

1.8.1 गृह मंत्रालय के एफसीआरए विभाग (विदेशी प्रभाग–एफसीआरए) ने 26 अप्रैल 2013 को अधिसूचना संख्या 11/210 22/23 (49)/2012 एफसीआरए–3 जारी की है जिसके अनुसार वार्षिक एफसीआरए रिटर्न बिलंब से जमा करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।

1.8.2 यह गौर तलब है कि इस समय फार्म एफसी–6 एफसी–7 और एफसी–8 फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, यानी वित्त के समापन से नौ महीने बाद है। प्रस्तावित दंड इस प्रकार हैं:

- प्राप्त की गई राशि का 2 प्रतिशत या 10,000 रुपये , जो भी अधिक हो – यदि विलंब 90 दिन तक का है
- प्राप्त की गई राशि का 3 प्रतिशत या 25,000 रुपये जो भी अधिक हो, यदि विलंब 90 से 100 दिन का है
- प्राप्त की गई राशि का 5 प्रतिशत या 50,000 रुपये जो भी अधिक हो, यदि विलंब 180 दिन से अधिक का है और साथ ही 180 दिन से अधिक होने पर 500 रुपये प्रति दिन।

मानकों और मानदंडों बहिखाता प्रणाली पर श्रृंखलाकित किताबें हैं जो एफएमएसएफ द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।